21

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 575-तीन/14 विरूध्द आदेश दिनांक 8/1/2014 पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 1033/अ-70/11-12

1 रन्धीर सिंह तनय नारायण जू ठाकुर
2 गोविन्द सिंह तनय रन्धीर सिंह
3 हलके भैया तनय रन्धीर सिंह
4 संजले भैया तनय रन्धीर सिंह
5 पिंकी राजा तनय रन्धीर सिंह
समस्त निवासी ग्राम डिकौली
तहसील बड़ामलाहरा जिला छतरपुर

- आवेदकगण

- विरूध्द -

हनुमत काछी तनय भगवान दास काछी
निवासी ग्राम डिकौली तहसील बडामलाहरा जिला छतरपुर

- अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सुरेश रजक, अभिभाषक, अनावेदक

निग0प्र0क्र0 575-तीन/14

आ दे श

(आज दिनांक 29/3/16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 575-तीन/14 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर के प्र क्र 1033/अ-70/11-12 में पारित आदेश दि 8-1-14 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२) प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

गैर निगराकार हनुमत व्दारा उसकी भूमि खसरा नंबर 864/0.081 हैक्टेयर एवं 889/0.210 हैक्टेयर ग्राम डिकौरी, तहसील बड़ामलहरा (वाद भूमि) का सीमांकन कराया गया । पटवारी व्दारा मौके पर दिनांक 15-5-10 को सीमांकन कर दिनांक 20-5-10 को प्रतिवेदन भेजा, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 8-7-10 को उक्त सीमांकन की पुष्टि की, जिसके अनुसार उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर निगराकार क्रमांक 1 रन्धीर का कब्जा पाया गया ।

इस सीमांकन के आधार पर गैर निगराकार ने दिनांक 22-7-10 को अपनी भूमि उक्त कब्जे से मुक्त कराने हेतु तहसीलदार को आवेदन दिया, जिस पर तहसीलदार बड़ामलहरा ने प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/10-11 में आदेश दिनांक 20-9-11 निगराकार पक्ष के विरूध्द पारित किया । इसके विरूध्द निगराकार पक्ष ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर के समक्ष की, जहां प्रकरण क्रमांक

02/अपील/11-12 के आदेश दिनांक 21-6-12 से अपील निरस्त हुई । इसके विरूध्द व्दितीय अपील अपर आयुक्त, सागर के समक्ष निगराकारगण ने की, जो आक्षेपित आदेश दिनांक 8-1-14 से निरस्त हुई । इसके विरूध्द राजस्व मण्डल में यह निगरानी संस्थित हुई ।

3/ प्रस्तुत तर्कों और अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेशों में कहीं भी इस संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि जिस सीमांकन के आधार पर वाद भूमि पर निगराकार पक्ष का अवैध कब्जा होना माना जाकर धारा 250 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता के अधीन बेदखली संबंधी कार्यवाही हुई है और उसके विरूध्द दोनों अपीलीय आदेश पारित हुए हैं, उस सीमांकन के दौरान निगराकार पक्ष को (एक) क्या मौका कार्यवाही के पूर्व सूचना पत्र जारी एवं/अथवा तामील हुआ था, (दो) क्या सीमांकन की मौका कार्यवाही के दौरान निगराकार पक्ष का कोई भी व्यक्ति उपस्थित था और क्या पंचनामा दिनांक 15-5-10 में जिस रन्धीर सिंह के हस्ताक्षर दिखते है वह क्या निगराकार क्रमांक 1 ही है या नहीं, (तीन) यदि मौका कार्यवाही में निगराकारपक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं भी मिला, तो क्या सीमांकन का पुष्टि आदेश पारित करने के पूर्व तहसीलदार ने इस न्यायालय के निगराकार पक्ष को सुनवाई हेतु सूचित किया और अवसर दिया या नहीं ।

अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर, सीमांकन आदेश पारित होने के पूर्व, नहीं मिला होने का आधार, निगराकार पक्ष व्दारा राजस्व मण्डल न्यायालय के समक्ष उठाया गया है ।

4/ प्राकृतिक न्याय के सिध्दांत audi altera partem, के अनुसार किसी पक्ष के विरूध्द निर्णय पारित करने के पूर्व उसे अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर दिया जाना चाहिए । यहाँ निगराकार पक्ष के विरूध्द सीमांकन में पाए गए उसके द्वारा किए गए बेजा कब्जे के आक्षेप को निर्धारित करने के पूर्व, उसे अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर उपलब्ध कराया गया था या नहीं, इस संबंध में अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21-6-12 अस्पष्ट एवं मूक हैं । बेदखली की कार्यवाही जिस सीमांकन के आधार पर की जाए, उस सीमांकन का विधि पूर्वक किया गया होना आवश्यक है । इस संबंध में अपर आयुक्त और अनुविभागीय अधिकारी को स्पष्ट बोलते हुए निष्कर्ष अपने आदेशों में सम्मिलित करने चाहिए थे, जिसका मैं अभाव पाता हूँ ।

5/ अत: मैं अपर आयुक्त, सागर को यह निर्देश देता हूँ कि वे, उन्हें राजस्व मण्डल का यह आदेश संसूचित होने के अधिकतम 3 माह के भीतर, पूर्व पैरा 3 में लिखे जा चुके बिन्दु (एक) से (तीन) के संबंध में (एवं किन्हीं भी अन्य आवश्यक बिन्दुओं के संबंध में भी), स्पष्ट बोलते स्वरूप के विवेचना युक्त निष्कषों को सम्मिलित करते हुए, एवं उभयपक्ष को आवश्यक पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए,

नए सिरे से अपने संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक अपील/1033/अ-70/11-12 में सभी दृष्टिकोण से पूर्ण प्रकृति का आदेश पारित करें । इसी के साथ, ऊपर की जा चुकी विवेचना के प्रकाश में एवं आधार पर, अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 8-1-14 अपास्त किया जाता है ।

निगरानी स्वीकृत ।
आदेश पारित ।
पक्षकार सूचित हों.
अभिलेख अपर आयुक्त सागर को भेजा जाए ।
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर